KRISHNA CYBER POINT

Presents **IGNOU Solution Series**

For Indira Gandhi National Open University (IGNOU) Students

M.A. POLITICAL SCIENCE EXAM GUIDE

GUESS PAPER

+ Related Old Papers Solved

BASED ON IGNOU SYLLABUS

एम.ए. राजनीति विज्ञान (MAPS) — IGNOU

सेमेस्टर 1

MPS-102

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था — संवैधानिक ढाँचा और संस्थाएँ

- ✓ New Semester Syllabus (MAPS)
- ★ Matching Old PYQs Solved
- ✓ 30 Long Answers (10 Marks)
- ✓ 20 Short Notes (5 Marks)
- ✓ 40 MCQs with Answer Key
- ✓ Hindi Medium

Solved Assignments, Projects & IGNOU Updates ke liye **Subscribe & Follow** karein

YOUTUBE @KrishnaCyberPoint

INSTAGRAM @KrishnaCyberPoint

Independent study material prepared by Krishna Cyber Point. Not an official publication of IGNOU.

पाठ्यक्रम + स्टार रेटिंग

पाठ्यक्रम और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक

पाठ्यक्रम (IGNOU MPS-102, सेमेस्टर 1 — 4 खण्ड, 16 इकाइयाँ):

इकाई	विषय	इकाई	विषय
1	राष्ट्रीय आन्दोलन और संवैधानिक विकास	9	शक्तियों का विभाजन — विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय
2	संविधान सभा और संविधान निर्माण	10	आपातकालीन प्रावधान
3	संविधान संशोधन और मूल ढाँचा	11	केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में सुधार
4	संविधान और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन	12	स्थानीय सरकारें
5	विधायिका	13	निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग
6	कार्यपालिका	14	संघ और राज्य लोक सेवा आयोग
7	न्यायपालिका	15	CAG, महान्यायवादी, महाधिवक्ता
8	भारतीय संघ का स्वरूप और विशेषताएँ	16	गैर-संवैधानिक निकाय (नीति आयोग, NHRC आदि)

सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक — MPS-102 नया पाठ्यक्रम है, इसका अपना पुराना पेपर अभी नहीं है; **PYQ = पुराने MPS-003 के वे प्रश्न जो इसी पाठ्यक्रम में आते हैं** (13 पेपर, दिसम्बर-2019 से जून-2026)। ★★★ = बहुत सम्भावित ★★ = सम्भावित

टॉपिक	रेटिंग	प्रश्न
संसद — भूमिका, कार्यप्रणाली, लोकसभा-राज्यसभा, संसदीय सम्प्रभुता	★★★	Q1, Q5, Q24, S4, S11, S20
स्थानीय सरकारें — पंचायती राज, 73वाँ-74वाँ संशोधन, अशोक मेहता समिति	★★★	Q2, S1, S2, S19
भारतीय संघवाद — विशेषताएँ, कार्यप्रणाली, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, राज्यपाल	★★★	Q3, Q8, Q18, Q20, S12–S14
न्यायपालिका — अधिकारों की रक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, सक्रियता, PIL	★★★	Q4, Q6, Q17, S3, S9, S10
कार्यपालिका — राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिमण्डल, नौकरशाही	★★★	Q7, Q15, Q16
संविधान — अधिकार, नीति-निदेशक तत्त्व, समाजवादी आदर्श, कराची प्रस्ताव	★★★	Q9, Q10, Q11, S5
राष्ट्रीय आन्दोलन; संविधान सभा; संशोधन और मूल ढाँचा	★★	Q12, Q13, Q14, S6
आपातकालीन प्रावधान; अनुच्छेद 356	★★	Q19, S7, S8
निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग, UPSC, CAG, महान्यायवादी, NHRC	★★	Q21–Q23, Q26, Q27, S15–S18
उद्देशिका और संविधान की विशेषताएँ; सर्वोच्च न्यायालय; आरक्षण; नगरीय शासन	★★	Q25, Q28–Q30

सरकार गिरने से यह लागू नहीं हुई, पर कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ने इसे अपनाया और यह 73वें संशोधन की प्रेरणा बनी।

S3 न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका (PIL)।

पिछला पेपर ×2 · दिसम्बर-22 दिसम्बर-25 · ★ महत्वपूर्ण

उत्तर

न्यायिक पुनरावलोकन — न्यायपालिका की वह शक्ति जिससे वह विधायिका के कानूनों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करती है और संविधान-विरोधी होने पर उन्हें शून्य घोषित करती है।

1. **आधार** — अनुच्छेद 13 (मौलिक अधिकार-विरोधी कानून शून्य), 32 और 226 (रिट), 131–136।
2. **सीमा-विस्तार** — केशवानन्द भारती (1973) में संविधान संशोधन भी पुनरावलोकन के अधीन; मूल ढाँचा अपरिवर्तनीय; मिनर्वा मिल्स (1980) में पुनरावलोकन स्वयं मूल ढाँचे का भाग।

जनहित याचिका (PIL) — 1980 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा विकसित; "सुने जाने के अधिकार" (Locus standi) में ढील — कोई भी व्यक्ति ग़रीब, वंचित लोगों या सार्वजनिक हित के लिए याचिका दे सकता है, पत्र को भी याचिका माना गया (एस.पी. गुप्ता, 1981; बन्धुआ मुक्ति मोर्चा)।

महत्त्व — अधिकारों की रक्षा, जवाबदेही; आलोचना — न्यायिक अतिक्रमण और तुच्छ याचिकाएँ।

S4 संसद में राष्ट्रपति की भूमिका।

पिछला पेपर ×1 · जून-26 · ★ महत्वपूर्ण

उत्तर

राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है — अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद = राष्ट्रपति + लोकसभा + राज्यसभा।

1. **सत्र** — सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, लोकसभा भंग करना (अनु. 85)।
2. **अभिभाषण** — आम चुनाव के बाद पहले सत्र और हर वर्ष के पहले सत्र में संयुक्त अभिभाषण (अनु. 87)।
3. **संयुक्त बैठक** — दोनों सदनों में गतिरोध पर (अनु. 108)।
4. **विधेयकों पर स्वीकृति** — स्वीकृति, रोकना या पुनर्विचार के लिए लौटाना (अनु. 111); धन विधेयक को लौटाया नहीं जा सकता।
5. **पूर्व-अनुमति** — धन विधेयक, नए राज्य निर्माण आदि विधेयकों हेतु।
6. **अध्यादेश** — संसद सत्र न होने पर (अनु. 123)।
7. **मनोनयन** — राज्यसभा में 12 सदस्य।

यह सब वह मन्त्रिपरिषद् की सलाह से करता है (अनु. 74)।

3. **कार्य** — भारत सरकार को विधिक सलाह; सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व; राष्ट्रपति के सन्दर्भ (अनु. 143) में।
4. **अधिकार** — भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार; संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार, पर मत देने का नहीं (अनु. 88)।
5. **महाधिवक्ता (Advocate General, अनु. 165)** — राज्य स्तर पर यही पद, राज्यपाल द्वारा नियुक्त।

समस्या — निश्चित कार्यकाल न होने से स्वतन्त्रता पर प्रश्न।

S18 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)।

★ महत्वपूर्ण

उत्तर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग — मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत स्थापित वैधानिक (गैर-संवैधानिक) निकाय।

1. **संरचना** — अध्यक्ष: सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश; अन्य सदस्य और पदेन सदस्य (SC, ST, महिला, अल्पसंख्यक आयोगों आदि के अध्यक्ष)।
2. **नियुक्ति** — राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाली समिति (लोकसभा अध्यक्ष, गृह मन्त्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, राज्यसभा उपसभापति) की सिफ़ारिश पर।
3. **कार्य** — मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच (स्वतः संज्ञान भी), जेलों का निरीक्षण, जागरूकता, सरकार को सिफ़ारिशें।

सीमाएँ — सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं; एक वर्ष से पुराने मामलों पर विचार नहीं; सशस्त्र बलों के मामलों में सीमित अधिकार — इसलिए इसे "दन्तहीन बाघ" कहा जाता है।

S19 पेसा (PESA) अधिनियम, 1996।

★ महत्वपूर्ण

उत्तर

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 — PESA — 73वें संशोधन के प्रावधानों को पाँचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित करने वाला कानून; भूरिया समिति की सिफ़ारिश पर बना।

1. **ग्राम सभा सर्वोच्च** — जनजातीय परम्पराओं, संस्कृति, सामुदायिक संसाधनों और विवाद-निपटान के पारम्परिक तरीकों की रक्षा।
2. **सहमति** — भूमि-अधिग्रहण और विकास योजनाओं से पहले ग्राम सभा से परामर्श।
3. **लघु वनोपज** पर स्वामित्व, लघु खनिजों के पट्टे, शराब पर नियन्त्रण, साहूकारी पर नियन्त्रण, भूमि-हस्तान्तरण रोकना।
4. **आरक्षण** — अनुसूचित जनजातियों को कम से कम आधी सीटें; अध्यक्ष पद ST के लिए।

महत्त्व — "विभेदित विकेन्द्रीकरण" और जनजातीय स्वशासन; सीमा — कई राज्यों ने नियम देर से बनाए और ग्राम सभा की शक्तियाँ कमज़ोर रखीं।

S20 राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ।

★ महत्वपूर्ण

उत्तर

राज्यसभा — संसद का उच्च सदन और राज्यों का प्रतिनिधि; अधिकतम 250 सदस्य (238 निर्वाचित + 12 मनोनीत); स्थायी सदन, हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त।

विशेष शक्तियाँ (जो लोकसभा के पास नहीं):

1. **अनुच्छेद 249** — दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित में संसद के कानून के लिए खोलना।
2. **अनुच्छेद 312** — दो-तिहाई बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव।
3. **आपातकाल / राष्ट्रपति शासन** — यदि लोकसभा भंग हो, तो घोषणा के अनुमोदन में राज्यसभा की भूमिका।
4. **उपराष्ट्रपति को हटाने** का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रारम्भ हो सकता है।

महत्त्व — संघीय सन्तुलन, विचारशील पुनरीक्षण ("ठण्डा करने वाली तश्तरी") और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व।

2. **अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग** — 1950–94 के बीच लगभग 100 बार।
3. **वित्तीय असन्तुलन** — कर-स्रोत केन्द्र के पास, व्यय-दायित्व राज्यों पर (ऊर्ध्वाधर असन्तुलन); केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ, उपकर और अधिभार (जो राज्यों से बाँटे नहीं जाते), GST क्षतिपूर्ति विवाद।
4. **समवर्ती सूची पर अतिक्रमण** — शिक्षा, वन आदि का 42वें संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जाना; केन्द्र के कृषि कानून (2020) जैसे विवाद।
5. **अखिल भारतीय सेवाएँ** और केन्द्रीय पुलिस बलों की तैनाती; केन्द्रीय एजेंसियों (CBI, ED) पर राजनीतिक दुरुपयोग के आरोप।
6. **अन्तर-राज्य जल विवाद**, भाषा, नए राज्यों का निर्माण।
7. **योजना आयोग / नीति आयोग** द्वारा केन्द्रीकृत नियोजन।

सुधार के प्रयास:

1. **प्रशासनिक सुधार आयोग (1966)** और राजमन्नार समिति (तमिलनाडु, 1969) — अधिक राज्य-स्वायत्तता की माँग; आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव (1973)।
2. **सरकारिया आयोग (1983–88):** शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक पर सहयोग से; अनुच्छेद 356 अन्तिम उपाय के रूप में; राज्यपाल निष्पक्ष, राजनीति से दूर व्यक्ति और मुख्यमन्त्री से परामर्श कर नियुक्त; अन्तर-राज्य परिषद की स्थापना (1990 में बनी); समवर्ती विषयों पर कानून से पहले राज्यों से परामर्श।
3. **बोम्मई निर्णय (1994)** — अनुच्छेद 356 पर न्यायिक नियन्त्रण।
4. **पुंछी आयोग (2007–10):** राज्यपाल का निश्चित 5 वर्ष का कार्यकाल और हटाने के लिए विधानसभा का प्रस्ताव; अनुच्छेद 355-356 का "स्थानीयकृत" प्रयोग; अन्तर-राज्य परिषद को सशक्त करना; समवर्ती सूची पर कानून से पहले परामर्श; राष्ट्रीय एकीकरण परिषद।

सीमित प्रभाव के कारण — अधिकांश सिफ़ारिशें सलाहकारी थीं; केन्द्र में सत्ता में रहने वाले दल ने उन्हें लागू करने में रुचि नहीं ली।

निष्कर्ष। केन्द्र-राज्य तनाव संघीय लोकतन्त्र का स्वाभाविक भाग हैं; इनका समाधान संवाद, सहकारी संघवाद, वित्तीय न्याय और सरकारिया-पुंछी सिफ़ारिशों के ईमानदार क्रियान्वयन में है।

Q9 सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

पिछला पेपर ×1 · दिसम्बर-19 · ★ महत्वपूर्ण

उत्तर

भूमिका। राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में हैं। ये आयरलैण्ड के संविधान से प्रेरित हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, पर "देश के शासन में मूलभूत" हैं और कानून बनाते समय इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। डॉ. आम्बेडकर ने इन्हें संविधान की "अनोखी विशेषता" कहा और ग्रेनविल ऑस्टिन ने मौलिक अधिकारों और नीति-निदेशक तत्त्वों को संविधान की "अन्तरात्मा" कहा।

सुधार — स्थानीय कर-आधार बढ़ाना, कार्यों-कोष-कर्मचारियों का वास्तविक हस्तान्तरण, शक्तिशाली और निश्चित कार्यकाल वाले महापौर, वार्ड समितियों को सक्रिय करना और नियोजन में नागरिक भागीदारी।

निष्कर्ष। 74वें संशोधन ने नगरों में लोकतान्त्रिक संस्थाओं की नींव रखी, पर नगर निकाय अब भी पूर्ण स्वायत्त नहीं हैं। भारत के तेज़ शहरीकरण को सँभालने के लिए उन्हें धन, अधिकार और जवाबदेही — तीनों देने की आवश्यकता है।

KRISHNA CYBER POINT